

मैं० श्री शक्ति माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-  
बागेश्वर, द्वारा सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 06.10.2023 को  
आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मैं० श्री शक्ति माइन्स एण्ड मिनरल्स, ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर उत्तराखण्ड, सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (8.883 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दिन 19.09.2023 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई०आई०ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियां जनसामान्य/इच्छुक संरक्षा के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दिन 06.10.2023 को परियोजना स्थल, के सभी ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर उत्तराखण्ड में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम डॉ० डी०के० जोशी क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में अधिसूचित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में संक्षेप में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स अर्थ विजन इण्डिया एसोसिएट कन्सल्टेंट, 45-46, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, विनीत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ के श्री भरत सिंह रावत द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावित विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, प्रस्तावित परियोजना का खनन क्षेत्र ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर उत्तराखण्ड तथा इसका खनन क्षेत्रफल 8.883 है० है। बेसलाईन पर्यावरणीय स्थिति के संबंध में बताया गया कि क्षेत्र की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए प्रस्तावित परियोजना के क्षेत्र में और उस के आस-पास मिट्टी, जल, वायु, शौर के नमूने एकत्रित किये गये थे। परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है नमूने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में कोई बस्ती शामिल नहीं है। इसलिए खनन गतिविधि में मानव बंदोबस्त का कोई भी विस्थापन शामिल नहीं है। खनन क्षेत्र के आस-पास कोई सार्वजनिक भवन स्थान/स्मारक आदि मौजूद नहीं है। प्रस्तावित परियोजना स्थानीय आवादी को रोजगार प्रदान करेंगी और जब भी मानव शक्ति की आवश्यकता होगी स्थानीय लोगों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य में लगे मजदूरों को वन जीवन की संवेदनशीलता/महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे तथा वाहनों से उत्पन्न होने वाले शौर का ध्यान रखा जाएगा। आस-पास के गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित न होने के कारण स्वास्थ्य सुविधा हेतु फी मैडिकल कैंप व दयाईयों का वितरण किया जायेगा तथा प्रस्तावित परियोजना के आस-पास 7.5 मीटर के निषिद्ध क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। तदक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पृच्छा की गयी कि परियोजना के सारांश में उल्लेखित उत्पादन विवरण के बारे में उपस्थित

जनसभा को विस्तारपूर्वक बताया जाये तथा मेडिकल कैम्प में आँखों के उपचार की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा कहा गया कि उपरोक्त बिन्दुओं का उल्लेख ई0आई0ए0 में किया जायेगा तथा बताया गया कि गांव के आस-पास के स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था व स्कूलों स्टेशनरी का वितरण तथा गांव के धार्मिक स्थलों की मरम्मत व रखरखाव तथा पीने की पानी की व्यवस्था का प्राविधान भी प्रस्तावित परियोजना के सी0ई0आर0 फंड में आवंटन किया गया है। खनन कार्य से सामुदायिक प्रभाव फायदेमंद होंगे, परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगी तथा पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया के साथ सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया जायेगा। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ प्रस्तावित खनन परियोजना पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री चंचल सिंह बनकोटी ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर – श्री बनकोटी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि गांव से अधिकांश पलायन हो चुका है। प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा पट्टा धारक से अपेक्षा की गयी कि गांव के सामाजिक कार्यों में समय-समय पर सहयोग किया जाना चाहिये। हमें प्रस्तावित परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है।
2. श्री आनंद सिंह बनकोटी ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर – श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
3. श्री दिनेश सिंह बनकोटी ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर – श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
4. श्री राजेन्द्र बनकोटी ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर – श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
5. श्री कै0एस0 बनकोटी ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर – श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
6. श्री गोपाल सिंह बनकोटी ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर – श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये।
7. श्री विष्णु सिंह रौतेला ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर – श्री रौतेला द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता दी जानी चाहिये।
8. श्री नन्दन सिंह बनकोटी ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर – श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
9. श्री भूपेश बनकोटी ग्राम-कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद-बागेश्वर – श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

10. श्री रतन सिंह बनकोटी ग्राम—कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद—बागेश्वर — श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
11. श्री श्याम सिंह रौतेला ग्राम—कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद—बागेश्वर — श्री रौतेला द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
12. श्री राजेन्द्र बनकोटी ग्राम—कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद—बागेश्वर — श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
13. श्री दरबान सिंह रौतेला ग्राम—कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद—बागेश्वर — श्री रौतेला द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
14. श्री मनोज सिंह बनकोटी ग्राम—कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद—बागेश्वर — श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
15. श्री दीपक सिंह बनकोटी ग्राम—कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद—बागेश्वर — श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
16. श्री राजेन्द्र सिंह बनकोटी ग्राम—कुलारंग चौड़ा (तोक रंगचौड़ा) तहसील व जनपद—बागेश्वर — श्री बनकोटी द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में प्रस्तुत विवरण के अनुसार खनन कार्य होना चाहिए।
17. श्री किशन सिंह दानू (परियोजना प्रस्तावक) — श्री दानू द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं तथा पूरे कार्यक्रम को सपन्न कराने में जिस ने भी सहयोग किया है, में उसका आभारी हूँ। यह गांव शिक्षित तथा विद्वानों का गांव है। प्रस्तावित परियोजना से गांव के लोगों की जो आशायें हैं, उनको पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा परियोजना प्रस्तावक से अपेक्षा की गयी कि खनन परियोजना में सी०ई०आर० लागत के आवंटन को बढ़ाया जाना चाहिये प्रस्तावित परियोजना में वृक्षों का रोपण स्थानीय महिलाओं द्वारा किया जाय। जिससे रोजगार प्राप्त होगा तथा पौधों का क्य स्थानीय मनरेगा की नर्सरी से किया जाना सुनिश्चित करें। स्वारथ शिविर के अंतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राइमरी पाठशाला में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थानीय लोगों के सहयोग से करने को कहा गया।

अन्य सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समाप्त किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डॉ० डी०के० जोशी)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी।



(अनुराधा प्राल)  
जिलाधिकारी  
बागेश्वर।

ग्रामीण शास्ति माइसर सरकारी मिनिस्टर, ग्राम- कुलारंग चौड़ा (तोक रुग्नचौड़ा) वहांतील के जिला-वारेक्षन में प्रस्तावित सीप स्टान माइनिंग (टेक्फॉल- ४.७०३ हेक्टर) हे पर्यावरणीय समीक्षा हेतु लोक सुनवाई में घासित का जिवरण-

सुनवाई स्थल- ग्राम कुलारंग चौड़ा  
समय यत्न तिथि- ६०५२०२३ साल:- ११:०० बजे

क्रमांक	नाम	पता	लकड़ी
1.	अमुराधा पाल	जिलाधिकारी वारेक्षन	✓
2.	गोठी कंजेशी	क्षेत्रीय अधिकारी संस्थानी गोड. छत्ती	✓
3.	भरत रावत	पर्यावरण विभाग	✓
4.	बद्धुवल्लभ नाथी	छात्र संघ छात्रसभा	✓
5.	गोपाल ठार्डवाला	५१०. पो. बलवारी बाजार, ३/८३	✓
6.	कर्मसुख छ-लोडी	३०५- बरामदा	✓
7.	विठ्ठल शिंदे रेहंडा	प्राम- खाली	✓
8.	जग्नार ठार्डवाला	प्रांक १४ अमेपुर	✓
9.	देवी ठार्डवाला	खुला रंगचौड़ा	✓
10.	लालूरा चिंद	✓	✓
11.	पंजार लालूरा बाजार	॥	✓
12.	दापुक चिंद	✓	✓
13.	राधाराम चिंद	कुला रंगचौड़ा	✓
14.	उमर लालूरा	कुला रंगचौड़ा	✓
15.	Chandresh Singh	कुला रंगचौड़ा	✓
16.	गुरुदेव चिंद	कुला रंगचौड़ा	✓
17.	देवी राम चिंद	कुला रंगचौड़ा	✓
18.	रामनाथ चिंद	कुला रंगचौड़ा	✓
19.	2151-122	कुला रंगचौड़ा	✓



